

गुजरात सर्वाधिकार अदालत ने कच्चा निलंबन का नोटिस

3.	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	382
4.	अवधि के लिये लाभ/(हानि)	342
5.	कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) तथा अवधि के लिये अन्य व्यापक आय से शामिल (11+12)	344
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	798
7.	प्रति इक्विटी शेयर आय: क. मूल (रु. में) ख. तरल (रु. में)	0.0 0.0

अन्योन्य स्टैंड एलॉन एवं समेकित इंड ए एस वित्तीय परिणामों की टिप्पणी:

- उपरोक्त वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखा मानक ("इंड ए एस"), कम्पनी ("सेबी") द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। यह इंड ए एस पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।
- उक्त तिमाही तथा नौमाही परिणामों की ऑडिट कमीटी द्वारा समीक्षा की गई अंकेक्षणकों ने 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही परिणामों की कम्पनी ने हाल में पूर्ण की गई राइट ईश्यू की रकम प्राप्त की है जिसमें रु. 1- योग्य शेयरधारकों को राइट्स आधार पर आवंटित किये गये हैं। यह कम्पनी ने बीएसई (रिफ़र कोड: 890162) तथा एनएसई (सिम्बॉल: VECOPP) में

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17.01.2022



एचएफसीएल लि
(पूर्व की हिमाचल फ्यूचरिस्टि)
पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक
ई-मेल : secretarial@hfc

विवरण

प्रचालनों से कुल आय
अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण के परचात)
अवधि हेतु कर परचात निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के परचात)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु निबल लाभ (कर परचात) तथा व्यापक आय (कर परचात) से निर्मित)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी
अन्य इक्विटी
आय प्रति शेयर (प्रत्येक रु. 1/- फेस वैल्यू)
(सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)
मूल (रु.)
डाइव्यूटेड (रु.)
टिप्पणियाँ :
1. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु कम्पनी के उपयुक्त अलेख्य
2. उपयुक्त परिणाम समय-समय पर संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम
3. उपयुक्त 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त कम्पनी के तिमाही तथा नौमाही अलेख्य
उपयुक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.hfcl पर उपलब्ध है।
4. जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ गत अवधि के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 जनवरी, 2022

कम्पनी आवेदन सं. सीए(ए)-127(एनडी)/2021
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समाभेदन) नियम, 2016 के मामले में
और
निम्नलिखित के बीच समाभेदन की योजना के मामले में:
स्टीलफेब्स कंसोलिडेटेड प्रा. लि.
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी-1/याचिकाकर्ता कम्पनी-1)
और
स्टीलफेब्स ऑफिशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी-2/याचिकाकर्ता कम्पनी-1)
और
स्टीलफेब्स इलिंग प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी-3/याचिकाकर्ता कम्पनी-1)
और
सेलोम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी-4/याचिकाकर्ता कम्पनी-1)
और
एनरॉयल ऑफिशोर प्राइवेट लिमिटेड
(हस्तांतरित कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी-1)
और
उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार याचिका की सूचना
याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत स्टीलफेब्स कंसोलिडेटेड प्रा. लि., स्टीलफेब्स ऑफिशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टीलफेब्स इलिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेलोम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एनरॉयल ऑफिशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समाभेदन की योजना के अनुमोदन के लिए कम्पनी आवेदन सं. सीए(ए)-127(एनडी)/2021 के साथ सम्बंध कम्पनी याचिका सं. सीए(ए)-122(एनडी)-2021 ("याचिका") दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को प्रस्तुत की गई थी और माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-3 ("अधिकरण") द्वारा 05 जनवरी, 2022 को इस पर सुनवाई की गई तथा 17 जनवरी, 2022 को आदेश अपलोड किया गया। माननीय अधिकरण के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 निर्धारित की गई है।
कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो वह याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिकारों को अपने आश्रय की सूचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिकारों के हस्तांतर के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो दिन पूर्व उक्त उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिकारों के नीचे दिये गये पते पर भेज सकता है। याचिका की प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का मुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
हस्ता/-
वैश एसोसिएट्स, एडवोकेट्स
याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिकारता
11वां पल्लो, मोहन देव बिल्डिंग, 13,
टॉलस्ट्रीट मार्ग, नई दिल्ली-110004
फोन नं. : (011)-42492623
ई-मेल : satwinder@vaishlaw.com
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.01.2022

हिरासत की अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी थी।
1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्रामला दर्ज किया था।



पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड
पंजी. कार्या: 232-बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
सीआईएन: L40300DL1995PLC068923
फोन: 011-33550700, फैक्स: 011-26321894
ईमेल: investorcare@polymedicaure.com
वेबसाइट: www.polymedicaure.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 31 जनवरी, 2022 को अन्य बातों के साथ आयोजित की जाएगी।
• 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौमाही के लिए अनकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन हेतु।
• किसी भी अन्य मामलों को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उपयुक्त समझ सकता है।
कृते पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड
हस्ता/-
अविनाश चंद्रा
कंपनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 18.01.2022

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि: अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राथमिक अधिकारी के रूप में दिल्ली परिसम्पत्तियों के प्राथमिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्न वर्णित उपकरणकर्ताओं/ सह-उपकरणकर्ताओं को कंपनी के प्राथमिक अधिकारी द्वारा एक मांग सूचना निर्गत की गई थी, जिसमें यानी कि सूचना में वर्णित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतन करने को कहा गया था। उपकरणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूतन करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्वारा उपकरणकर्ता तथा जनसम्पत्तियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त उपकरणकर्ता के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उपकरणकर्ता को विवेक रूप में तथा जनसम्पत्तियों को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करे तथा सम्पत्ति का कोई भी किराना का लेन-देन जो है वो, यहां इसमें नीचे वर्णित एक राशि तथा उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रमाणपत्र हेतु।
उपकरणकर्ता का ध्यानकर्तव्य उक्त विधि में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उपकरणकर्ता विवेक अथवा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपभोग व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराशियों का पूर्ण मुआवजा कर देती है, ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयों कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उपकरणकर्ता(ओं) के नाम आगरा शाखा	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कच्चा की तिथि
श्रीमती पायल कुमारी, श्री काली चरण, श्री मनोज कुमार एवं श्रीमती विजय देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. 789423)	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं : आवासीय भूखंड सं. 92-ए, अधिमाण 58.56 वर्ग मीटर, खसरा सं. 86, जो गंगा पैलेस, मौजा कोलखा, आगरा, 282001, उत्तर प्रदेश, भारत	रु. 8,75,516/- (रुपए आठ लाख पैंचहत्तर हजार पांच सौ सोलह मात्र)	02 मार्च 2021	17 जनवरी 2022
श्री प्रदीप गुप्ता, श्रीमती अचल गुप्ता, श्रीमती मुनी देवी, श्री संदीप गुप्ता (प्रॉस्पेक्ट नं. 793026)	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं : भूखंड सं. 32 का भाग, आर. के. पुरम कॉलोनी, खसरा सं. 72, मौजा-सेमारी, देवारी रोड, आगरा, 282001, उत्तर प्रदेश, भारत	रु. 11,76,238/- (रुपए ग्यारह लाख छिहत्तर हजार दो सौ अड़तीस मात्र)	22 मार्च 2021	17 जनवरी 2022
श्री सुनील जैन और श्रीमती शशिक्ला जैन (प्रॉस्पेक्ट नं. 819612)	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं : भूखंड सं. 91, खसरा सं. 2118, जो किरण बाग कॉलोनी, नागला रेबाल, मौजा नराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश	रु. 7,08,651/- (रुपए सात लाख आठ हजार छह सौ इक्कावन मात्र)	11 नवंबर 2019	17 जनवरी 2022
श्री बांके बिहारी बंसल, श्रीमती मधु बंसल, श्री अनुराग बंसल, श्री सोहन बंसल, श्रीमती ऊषा बंसल, श्री विनोद कुमार बंसल (प्रॉस्पेक्ट नं. 2962)	सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं : संपत्ति सं. 21/18ए एवं 21/18-1 प्री गीज, छत्ता वाई, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282004	रु. 88,68,290.00/- (रुपए अट्ठासी लाख अड़सठ हजार दो सौ नब्बे मात्र)	19 नवंबर 2019	17 जनवरी 2022

अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राथमिक अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें : युनिट सं. 309, तृतीय तल, पदम विजयन पार्क, भूखंड सं. आईएनएस-1, सेक्टर 12ए, अवास विकास, सिविक योजना, आगरा, 282007 तथा/अथवा निर्णायक कार्यालय: भूखंड सं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा।
स्थान : आगरा, दिनांक : 18.01.2022
हस्ता./- प्राथमिक अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक ऑफिस : बुलन्दशहर

पता : यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-201301
05732-281724, ई-मेल : cobrsamd@pnb.co.in, CS8212@pnb.co.in

प्रतिभूति हित गामी बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 तयों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार भौतिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) ही है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

